

अनुदान संख्या 88 – कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
GRANT No. 88 - MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2766,11,00		
		2766,14,00	2171,19,44	-594,94,56
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			562,51,68
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	250,03,00	26,81,73	-223,21,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			216,10,60

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय—सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services			
मू.	O.	5000.00		
		4345.50	4124.20	-221.30
पु.	R.	-654.50		

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2230"	Major Head "2230"				
श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	198130.00			
पू.	S.	1.00	149635.42	147606.28	-2029.14
पु.	R.	-48495.58			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	26500.00			
			44.40	..	-44.40
पु.	R.	-26455.60			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	42076.00			
पू.	S.	2.00	65856.00	64918.62	-937.38
पु.	R.	23778.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	4905.00			
			481.00	470.34	-10.66
पु.	R.	-4424.00			

(I) ₹26500.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "प्रशिक्षण – शिक्षता प्रशिक्षण – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से

(I) Provision of ₹26500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Training - Apprenticeship Training -

संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय” – ₹357.62 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कम दौरे किए जाने एवं प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “प्रशिक्षण महानिदेशालय” – ₹518.18 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, चिकित्सा, यात्रा व्ययों के कम दावे प्राप्त होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2230” – “प्रशिक्षण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “शिक्षुता प्रशिक्षण – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹27266.78 लाख की बचत (मार्च 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.66 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹144083.66 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने, पेशेवर लोगों को कम रखे जाने, प्रस्तावों और स्कीम के पुनर्निर्माण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹15256.99 लाख की बचत (₹36290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “जनजाति क्षेत्र उप योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹8000.95 लाख की बचत (मार्च 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.34 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Ministry of Skill Development and Entrepreneurship”- saving of ₹357.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and non finalization of proposals.

(B) “Directorate General of Training” - saving of ₹518.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards medical, travel expenses and economy measures.

(III) Under Major Head “2230” - “Training” - savings occurred under the following heads :-

(A) “Apprenticeship Training - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana”- saving of ₹27266.78 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹144083.66 lakhs including token supplementary grant of ₹0.66 lakh obtained in March, 2018) was due to non-filling up of vacant posts, non receipt of utilization certificates, hiring of less professionals, non finalization of proposals and restructuring of the Scheme.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana”- saving of ₹15256.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36290.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana”- saving of ₹8000.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹17757.34

₹17757.34 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई:-

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने जाने, कम पेशेवरों को रखे जाने, एनएपीएस स्कीम के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने तथा स्थापना संबंधी कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/शेयर – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹3303.64 लाख की बचत (₹3656.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई:-

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹695.25 लाख की बचत (₹765.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;और

(गा) “जनजाति क्षेत्र उप- योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹435.77 लाख की बचत (₹482.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई:-

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति में विलंब होने और स्थायी वित्त समिति द्वारा स्कीमों के विस्तार का अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹23778.00 लाख) प्रयुक्त हो गई; जैसाकि दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) “केन्द्रीय सहायता/शेयर – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹18854.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹18200.35 लाख था।

lakhs including token supplementary grant of ₹0.34 lakh obtained in March, 2018).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, hiring of less professionals, receipt of less proposals under NAPS Scheme and establishment related claims.

(IV) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹3303.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3656.40 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹695.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹765.80 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹435.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹482.80 lakhs).

Savings under the above three heads were due to delay in receipt of proposals and non-approval of extension of scheme by Standing Finance Committee.

2. The above savings were partly (₹23778.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakh in December, 2017 and March, 2018 under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - under the following heads :-

(I) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana”- ₹18854.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹18200.35 lakhs.

(II) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹3471.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3220.48 लाख था।

(गा) “जनजाति क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹1453.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1419.79 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) “Special Component for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - ₹3471.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3220.48 lakhs.

(III) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - ₹1453.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1419.79 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “4070”	Major Head “4070”			
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services			
मू.	O.	4188.00		
		708.00	682.75	-25.25
पु.	R.	-3480.00		
मुख्य शीर्ष “4250”	Major Head “4250”			
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services			
मू.	O.	19565.00		
		2684.40	1998.98	-685.42
पु.	R.	-16880.60		
मुख्य शीर्ष “4552”	Major Head “4552”			
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	1250.00		
	
पु.	R.	-1250.00		

(I) ₹1250.00 लाख का प्रावधान एक मामले के अंतर्गत मुख्य शीर्ष “4552” – “प्रशिक्षण – शिक्षता प्रशिक्षण – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – “इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल” स्कीम संघटक का अनुमोदन न मिलने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “4070” – “अन्य व्यय – सचिवालय – कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय” के अंतर्गत – ₹3505.25 लाख की बचत (₹4188.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमएसडीई के लिए स्थायी भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न लिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “4250” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “अन्य व्यय – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹12926.46 लाख की बचत (₹14791.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹3072.95 लाख की बचत (₹3170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप- योजना – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹1566.61 लाख की बचत (₹1604.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरणों से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1250.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head “4552” - “Training - Apprenticeship Training - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - due to non-approval of scheme component “Indian Institute of Skill”.

(II) Under Major Head “4070” - “Other Expenditure - Secretariat - Ministry of Skill Development and Entrepreneurship” - saving of ₹3505.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4188.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction of permanent building for MSDE.

(III) Under Major Head “4250” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Other Expenditure - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹12926.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14791.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹3072.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3170.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹1566.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1604.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of proposals towards machinery and equipments and slow pace of work by Central Public Works Department.